मुख्य न्यायाधिपति अरुण बी. सहारिया, एवं न्यायमूर्ति वी. के. बाली के समक्ष

नीरज कुमार गौर,-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य व अन्य,-प्रत्यर्थी

1989 का एल. पी. ए. सं. 254

30 जुलाई, 1999

एकस्व पत्रीय अपील, *1919*-. खंड *X*- परिणामी लाभ-अपीलार्थी को विज्ञान शिक्षक के पद के लिए चुना गया था, परंतु उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई थी-उस पद पर एक अन्य नियुक्त किया गया- अपीलार्थी द्वारा नियुक्ति को सफलतापूर्वक चुनौती दी गई -विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अपीलार्थी को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए-अब परिणामी लाभों के अनुतोष की मांग की-अनुतोष स्वीकृत-जब नागरिक को नियुक्ति के अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया है, तो वेतन, वरिष्ठता जैसे सभी परिणामी लाभ स्वाभाविक रूप से वांछित अनुतोष में शामिल हैं।

अभिनिर्धारित किया गया कि किसी कर्मचारी की पदोन्नति को अवैध रूप से रोकने के मामलों में, न्यायालय द्वारा आदेशित पदोन्नति पर, वह सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा, जैसे वेतन वरिष्ठता आदि। हमारे विचार में, कानून के इस प्रस्ताव को कहीं अधिक स्पष्ट तरीके से लागू किया जाना चाहिए जब एक नागरिक को उन लोगों की मिलीभगत से उचित चयन के बाद नियुक्ति के अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया है, जिन्हें एक जिम्मेदार कर्तव्य सौंपा गया है, लेकिन रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने और किसी अन्य व्यक्ति को लाभ प्रदान करने की सीमा तक जाता है, जिसके लिए केवल एक विशिष्ट नागरिक ही हकदार था।

(पैरा 7)

उक्त के अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 5 की नियुक्ति की तारीख से विज्ञान शिक्षक के रूप में सेवा में घोषित किया जाता है, तो वेतन और वरिष्ठता जैसे अन्य सभी परिणामी लाभ स्वाभाविक रूप से उपरोक्त राहत में शामिल किए जाएंगे।

(पैरा 8)

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता जसवंत जैन।

एस. पी. लालेर, डा. ए. जी., *(*हरियाणा*)*, प्रत्यर्थी के लिए।

न्याय

न्यायमूर्ति वी. के. बाली

(1) विज्ञान शिक्षक के पद पर चयनित अपीलार्थी (इसके बाद में 'याचिकाकर्ता' के रूप में संदर्भित), को चुपके से नियुक्ति से बाहर रखा गया था।

जबकि मोहिंदर सिंह-प्रत्यर्थी संख्या 5 को उस पद पर अत्यंत संकीर्ण तरीके से याचिकाकर्ता के स्थान पर चयनित कर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने 1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 7134 के माध्यम से उस पद पर प्रतिवादी संख्या 5 की नियुक्ति के आदेश को सफलतापूर्वक चुनौती दी, जिस पर उन्हें वास्तव में चुना गया था।विद्वान एकल न्यायाधीश, जिनके समक्ष मामला अंतिम निर्णय के लिए आया था, ने प्रतिवादी संख्या 5 की नियुक्ति को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को उन्हीं नियमों और शर्तों पर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 5 की नियुक्ति की गई थी।

(2) लेटर पेटेंट के खंड X के तहत उनके द्वारा दायर वर्तमान अपील में याचिकाकर्ता की एकमात्र शिकायत यह है कि उसे वेतन और अन्य परिणामी लाभों का हकदार क्यों नहीं होना चाहिए जो उसे स्वाभाविक रूप से मिलता यदि प्रतिवादी संख्या 5 पूरी तरह से अवैध और अनुचित मामले में उसकी जगह नहीं लेता।

(3) उपर्युक्त उल्लिखित एकमात्र प्रश्न का निर्णय लेने के उद्देश्य से जिन संक्षिप्त तथ्यों का उल्लेख आवश्यक है, उनसे पता चलता है कि जिला शिक्षा अधिकारी, नारनौल-प्रतिवादी संख्या 3 के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत शिक्षा विभाग में विज्ञान शिक्षकों की कुछ रिक्तियां थीं।उपरोक्त प्रतिवादी ने उपयुक्त उम्मीदवारों को प्रायोजित करने के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, नारनौल को पांच पदों के लिए एक अनुरोध भेजा।एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने याचिकाकर्ता के नाम को भी प्रायोजित किया।उत्तरदाता प्रत्यार्थी संख्या 3 द्वारा 6 अप्रैल, 1987 को साक्षात्कार आयोजित किए गए थे।याचिकाकर्ता का नाम योग्यता सूचि के क्रम संख्या 4 पर आया।चूंकि पांच रिक्तियों को भरा जाना था, इसलिए याचिकाकर्ता को विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्त होने का अधिकार था।प्रत्यर्थी संख्या 3,-दिनांक 29 अप्रैल, 1987 के पत्र के माध्यम से जिला रोजगार अधिकारी, नारनौल को सूचित किया कि उनके द्वारा प्रायोजित क्रम संख्या 1,11,12,14 और 15 के उम्मीदवारों का चयन किया गया है और उन्हें विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।याचिकाकर्ता एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, नारनौल द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों की सूचि में क्रम संख्या 14 पर था।हालांकि, याचिकाकर्ता को कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला।विवश होकर, उन्होंने अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, नारनौल से संपर्क किया और बदले में उन्हें सूचित किया गया कि उनके पंजीकरण के नवीनीकरण का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि उन्हे तब से विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया था।चूंकि याचिकाकर्ता को वास्तव में नियुक्त नहीं किया गया था और उसके नाम का नवीनीकरण भी रोजगार अधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा था, इसलिए उसने बाद वाले से लिखित रूप में विज्ञान शिक्षक के रूप में उसके चयन के संबंध में सूचित करने का अनुरोध किया, जिसने बदले में ऐसा ही किया।याचिकाकर्ता को आधिकारिक सूचना दी गई कि वह विवाद के तहत पद पर नियुक्ति के लिए चुने गए हैं और अभी भी वास्तविकता यह है कि वह अभी भी रास्ते पर हैं, उन्होंने पूछताछ की और उम्मीदवारों की नियुक्तियों में प्रतिवादीगण द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में पता चला।इन कठिन परिस्थितियों में उसने

अपनी नियुक्ति के लिए कहा और 1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 7134 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 5 को जारी किए गए नियुक्ति पत्र को रद्द कर देने को कहा, जिसके परिणामस्वरूप, उपर्युक्त लिखित अनुसार किया गया।

(4) रिट याचिका में, प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था और प्रतिवादीगण को शिक्षकों के चयन से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया गया था।कई अवसरों के बावजूद रिकॉर्ड नहीं बनाए गए।विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी उपरोक्त तथ्य का उल्लेख किया गया है।

(5) प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दायर किए गए लिखित बयान में यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता ने 47 अंक प्राप्त किए थे जबकि प्रत्यर्थी संख्या 5 ने 44 अंक प्राप्त किए थे।हालाँकि, जब परिणाम पत्रक को हस्ताक्षर के लिए चयन समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रतिवादी संख्या 5 को 12 अंक दिए जाएं और उसके बाद ही वे उस पर हस्ताक्षर करेंगे।यही कारण था कि प्रतिवादी संख्या 5 को साक्षात्कार के लिए 12 अंक दिए गए थे।इसके परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा प्राप्त कुल अंक 48 निकले और उन्हें क्रम संख्या 4 पर रखा गया।नतीजतन, योग्यता सूची में क्रम संख्या 4 पर प्रत्यर्थी संख्या 5 जोड़कर संशोधन किया गया, जबकि वह पहले क्रम संख्या 5 पर था।

(6) पक्षों की दलीलों पर, विद्वान एकल न्यायाधीश एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे कि "साक्षात्कार 6 अप्रैल, 1987 को आयोजित किया गया था और याचिकाकर्ता का नाम योग्यता सूची में क्रम संख्या 4 पर था।यह बाद के चरण में था कि प्रतिवादी संख्या 5 के चयन को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरी योग्यता सूची के साथ छेड़छाड़ की गई थी। प्रत्यार्थी संख्या 3 द्वारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को सूचित किया कि याचिकाकर्ता को विज्ञान शिक्षक के पद के लिए चुना गया है।यह जानकारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को 29 अप्रैल, 1987 को दी गई थी, यानी साक्षात्कार की तारीख के बहुत बाद।प्रत्यर्थी संख्या 4 के आचरण पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह टिप्पणी करते हुए प्रतिकूल टिप्पणी की कि "उन्होंने चयन समिति के सदस्यों के साथ मिलकर चयन योग्यता सूची के साथ छेड़छाड़ की थी और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को उनके चयन से वंचित कर दिया था, जिसके लिए उन्हें पहली बार में विधिवत चुना गया था।चयन समिति के अध्यक्ष की पूरी कार्रवाई भाई-भतीजावाद के समान थी जो किसी भी तरह से कानूनी रूप से कायम नहीं रह सकती थी।उत्तरदाता संख्या 4, जो जिला शिक्षा अधिकारी थे, उन्हें नैतिक मूल्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं था।याचिकाकर्ता की योग्यता को कम करने में उनका कार्य अनैतिक था।

(7) याचिकाकर्ता ने अदालत में अपना दावा करते हुए, रिट याचिका के माध्यम से, जो ऊपर संदर्भित है, प्रार्थना की थी कि उसे प्रत्यर्थी संख्या 5 की नियुक्ति की तारीख से विज्ञान शिक्षक के रूप में सेवा में माना जाए।याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 5 की नियुक्ति की तारीख से सेवा में माने जाने का स्वाभाविक रूप से मतलब होगा कि वह सेवा में बना रहेगा।

जिस तारीख से प्रत्यर्थी संख्या 5 की नियुक्ति की गई थी और सभी परिणामी लाभों को अनिवार्य रूप से उक्त राहत में अंतर्निहित माना जाएगाःहम याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील के तर्क में काफी योग्यता पाते हैं कि यदि कोई नागरिक अपनी कोई गलती नहीं होने के कारण अपने उचित लाभ से वंचित है, और वास्तव में और वास्तविकता में इस कारण से कि जिन लोगों को एक नागरिक को विशेष राहत देने का कर्तव्य सौंपा गया है, उन्होंने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत की है और धोखाधड़ी की है, तो उक्त नागरिक को राहत देते हुए उन सभी के लिए हकदार माना जाना चाहिए जो उसे अर्जित करना चाहिए था या प्राप्त करना चाहिए था यदि ऐसी धोखाधड़ी उस पर नहीं की गई थी, तो यह बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है कि अदालत द्वारा आदेशित पदोन्नति पर किसी कर्मचारी की पदोन्नति को अवैध रूप से रोकने के मामलों में, वह सभी परिणामी लाभों, जैसे वेतन और वरिष्ठता आदि का हकदार होगा। हमारे विचार में, कानून के इस प्रस्ताव को कहीं अधिक स्पष्ट तरीके से लागू किया जाना चाहिए जब एक नागरिक को उन लोगों की मिलीभगत से उचित चयन के बाद नियुक्ति के अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया है, जिन्हें एक जिम्मेदार कर्तव्य सौंपा गया है, लेकिन यह इस हद तक जाता है कि आदेशों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और किसी अन्य व्यक्ति को लाभ प्रदान किया जा सकता है जिसके लिए केवल एक विशिष्ट नागरिक ही हकदार था।निश्चित रूप से, ऐसी स्थिति में; जहां तक सरकार का संबंध है, उसे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है जो अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहे होंगे।इसके अलावा, पक्षों की दलीलों से यह स्पष्ट है कि जैसे ही याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा की गई धोखाधड़ी का पता चला, वह इस न्यायालय में राहत के लिए आया, जिसमें यह भी शामिल था कि उसे उस तारीख से विज्ञान शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया माना जाना चाहिए जब प्रतिवादी संख्या 5 को इस तरह नियुक्त किया गया था।पक्षकारों की दलीलों को पढ़ने से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता रोजगार अधिकारी या इस न्यायालय के समक्ष अपने उपचार को आगे बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था।

(8) श्री ललेर, विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा ने तथ्यों की प्रभावशाली श्रृंखला, जैसा कि वर्तमान मामले में हमारे सामने है, अभी भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने इस आशय का कोई अनुरोध नहीं किया था कि उसे उस अवधि के लिए वेतन दिया जाए जब वह विज्ञान शिक्षक के पद पर काम करने से वंचित था और अन्य परिणामी लाभ और केवल इसी कारण से, वह उसी का हकदार है।ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर उल्लिखित विद्वान वकील का तर्क प्रार्थना खंड के खंड (iv) को पढ़े बिना किया गया था, जिसमें इसका उल्लेख निम्नानुसार किया गया है।

> "((iv) यह भी प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 5 की नियुक्ति की तारीख से विज्ञान शिक्षक के रूप में निरंतर सेवा में माना जा सकता है।"
>
> यदि याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 5 की नियुक्ति की तारीख से विज्ञान शिक्षक के रूप में घोषित किया जाता है, तो अन्य सभी परिणामी लाभ, जैसे वेतन और वरिष्ठता, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्वाभाविक रूप से उपरोक्त राहत में अंतर्निहित होंगे।

(9) इस मामले के ऊपर दर्ज किए गए कारणों और विशिष्ट तथ्यों की परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता उस अवधि से भुगतान करने का हकदार है जब प्रतिवादी संख्या 5 को विज्ञान शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था, जब तक कि उसे वास्तव में सभी परिणामी लाभों के साथ नियुक्त नहीं किया गया था।यह राज्य सरकार के विवेकाधिकार पर होगा कि वह अपने रिंग अधिकारी (अधिकारियों) के खिलाफ कार्रवाई करे।•कानून के साथ।तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है, जिसकी लागत रु। 3300/-।

JJS.T

अस्वीकरण *:* स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा चांद,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरूग्राम, हरियाणा

न्यायमूर्तिगन जी. एस. सिंघवी और इकबाल सिंह के समक्ष

स्वर्ण सिंह,-अपीलार्थी
बनाम
पी.एस.ई.बी. पटियाला व अन्य-उत्तरदाता
1994 का एल. पी. ए. सं. 595
10फरवरी, 2000

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद 226-पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी *(*दंड और अपील*)* विनियम, *1970*-विनियमन। *14 (ii)*-औद्योगिक विवाद अधिनियम, *1947*-धारा *25*-एफ-श्रम न्यायालय के पुरस्कारों के खिलाफ अनुच्छेद *226* के तहत हस्तक्षेप का दायरा-कर्तव्य से लंबी अनुपस्थिति-विनियमन के प्रावधानों का पालन किए बिना कर्मचारी की समाप्ति। *14 (*एच*)*-श्रम न्यायालय ने बर्खास्तगी को अवैध बताते हुए सेवा की निरंतरता के साथ बहाली का आदेश दिया। एकल न्यायाधीश ने पुरस्कार को रद्द करते हुए कहा कि जिस आरोप पर अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त किया गया था, वह पूरी तरह से छंटनी और कदाचार के लिए असमर्थनीय साबित हुआ-सेवाओं की समाप्ति को गैरकानूनी माना गया। *14 (ii)*-विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया गया-श्रम न्यायालय के फैसले को संशोधन के साथ बहाल किया गया कि अपीलार्थी मांग नोटिस की तारीख से शामिल होने तक *25* प्रतिशत वेतन वापस पाने का हकदार है-हालाँकि, पी. एस. ई. बी. ने कानून के अनुसार जांच करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि विनियमों के विनियम 8 से 13 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित विभागीय जांच करने के बजाय, अधीक्षण अभियंता, वितरण मंडल, लुधियाना ने विनियम 14 (ii) के प्रावधानों को लागू किया था और अपीलार्थी की सेवा को इस आधार पर समाप्त कर दिया था कि जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है।इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि संबंधित प्राधिकारी ने अपीलार्थी को कर्तव्य से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के आरोप की विभागीय जांच करने के लिए नोटिस जारी नहीं किया था और न ही वास्तव में, उस आरोप को साबित करने के लिए कोई जांच की गई थी और